

REF:TEIL:SE

Date : January 11, 2018

The Deputy General Manager, Department of Corporate Services, BSE Limited. 1 st Floor, New Trading Ring, Rotunda Building, P.J. Tower, Dalal Street, Fort, MUMBAI-400 001	The Asst. Vice President, Listing Department, National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, 5 th Floor, Plot No. C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), MUMBAI-400 051
STOCK CODE: 532356	STOCK CODE: TRIVENI

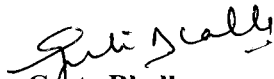
Sub : Submission of copies of newspaper advertisements for Transfer of Equity Shares to the Investor Education and Protection Fund.

Dear Sirs,

We enclose copies of the advertisements published on January 10, 2018 in FINANCIAL EXPRESS (English) and JANSATTA (Hindi) with respect to Transfer of Equity Shares to the Investor Education and Protection Fund.

This is for your kind information and records.

Thanking you,
Yours faithfully,
for TRIVENI ENGINEERING & INDUSTRIES LTD.,



Geeta Bhalla
Group Vice President &
Company Secretary

Encl.: a/a

WEDNESDAY, JANUARY 10, 2018

COMPANIES 7

TRIVENI ENGINEERING & INDUSTRIES LIMITED

Corp. Off: 8th Floor, Express Trade Towers, 15-16, Sector - 16A, Noida, U.P. - 201301
Phone: +91 120 4308000 / Fax: +91 120 4311010-11
E-mail: shares@trivenigroup.com, Website: www.trivenigroup.com,
CIN: L15421UP1932PLC022174

NOTICE TO SHAREHOLDERS

TRANSFER OF EQUITY SHARES TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, all shares in respect of which dividend has remained unclaimed/unpaid for seven consecutive years or more are required to be transferred by the Company in favour of the Investor Education and Protection Fund (IEPF).

In pursuance of the IEPF Rules, the Company has sent necessary intimation to the concerned shareholders who have not claimed/encashed the Final & Special dividend for the Financial Year 2009-10 and whose shares are liable to be transferred to IEPF. The details of such shareholders have been uploaded on the website of the Company at www.trivenigroup.com under the section 'Investors'. The shareholders may access the website of the Company to verify the details of the shares liable to be transferred to IEPF.

The concerned shareholders are requested to claim their unpaid Final & Special dividend for the Financial Year 2009-10 onwards, by making an application to the Share Transfer Agent of the Company i.e. Karvy Computershare Private Limited (Unit: Triveni Engineering & Industries Limited) at Karvy Selenium Tower B, Plot No.31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500032 or through email at enward.ris@karvy.com. In case a valid claim for the unpaid dividend, is not received by the Karvy Computershare Private Limited on or before February 17, 2018, the Company shall transfer such shares to IEPF in accordance with the procedure prescribed under the IEPF Rules.

Shareholders may kindly note that the shares transferred to IEPF including the benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by them from the IEPF Authority after following the procedure prescribed under the IEPF Rules.

In case the shareholders have any query in this regard, they may contact at Karvy Computershare Private Limited (Unit: Triveni Engineering & Industries Limited), at Karvy Selenium Tower B, Plot No.31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500032, Tel. No.: 040 67162222, Toll Free: 1800-345-4001, Fax No.: 040 23001153, email: enward.ris@karvy.com.

For Triveni Engineering & Industries Ltd.
Geeta Bhalla
Group Vice President &
Company Secretary

Date: January 9, 2018
Place: Noida



CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A Govt. of India Undertaking)

Corp. Office: 4/1, Siri Institutional Area, August Kranti Marg,
Hauz Khas, New Delhi-110 016.
Ph: 011-26966268, 26566107/124. Fax: 011-26518013



No. CWC/III-70/ED-2018/7(1)(d)/B2C

Date: 10.01.2018

ELECTION NOTICE

The Notice is hereby given, that the Election of a Director on the Board of the Central Warehousing Corporation (CWC) for the period of three year term representing shareholding institutions under Section 7(1) (d) of the Warehousing Corporations Act, 1962 viz. **Other Scheduled Banks** of Shareholding Institutions registered with the CWC, will be held on **23.03.2018 Friday (from 02.30 P.M. to 04.30 P.M.)** at New Delhi in the Auditorium of the Central Warehousing Corporation, "Warehousing Bhawan", 4/1, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Hauz Khas, New Delhi-110 016.

All the shareholders of above category are hereby informed that the Election Notice together with the extracts of the relevant provisions of the Warehousing Corporations Act, 1962, the Central Warehousing Corporation Rules, 1963 and the Central Warehousing Corporation (General) Regulations, 1965 framed there under and the detailed procedure for the conducting of election have been dispatched by post to them separately. It can also be seen on the web site of the CWC at www.cwacor.nic.in. **The last date for receipt of nomination is 24.01.2018 (Wednesday) upto 5.00 P.M.** As such, the nomination(s) deposited after this date i.e. 24.01.2018 (Wednesday) after 5.00 P.M. will not be entertained.

As per relevant Rule/Regulation, no proxy/ authorized representative (AR) shall be valid, if it is deposited less than four clear days before the date fixed for election. However, keeping in view of the fact that sufficient time is required for undertaking the actual physical verification of all proxies/ARs, and to allow an opportunity of personal hearing, the last date for receipt of the proxies/ARs has been kept more than four days. **The last date for receipt of proxies /ARs thus will be 23.02.2018 (Friday) upto 5.00 P.M.** As such the proxies/ARs deposited after this date i.e. 23.02.2018 (Friday) after 5.00 P.M. will not be entertained.

If any of the scheduled dates is declared a public holiday, work scheduled for the date will be carried forward on the next working day at the same time.

(A.S. Gopalan)
Secretary

RELIANCE

MUTUAL FUND

MUTUAL FUNDS
Sahi Hai

RELIANCE NIPPON LIFE ASSET MANAGEMENT LIMITED

(formerly Reliance Capital Asset Management Limited)

(CIN - L65910MH1995PLC220793)

Registered Office: Reliance Centre, 7th Floor, South Wing, Off Western Express Highway, Santacruz (East), Mumbai - 400 055.
Tel No. +91 022 3303 1000 • Fax No. +91 022 3303 7662 • www.reliancecmutual.com

NOTICE NO. 155

DIVIDEND DECLARATION

Record Date

January 15, 2018

Notice is hereby given that the Trustee of Reliance Mutual Fund ("RMF") has approved declaration of dividend on the face value of Rs 10/- per unit in the undernoted Schemes of RMF, with January 15, 2018 as the record date:

Name of the Scheme	Dividend (₹ per unit)*	NAV as on January 08, 2018 (₹ per unit)
Reliance Dual Advantage Fixed Tenure Fund VII - Plan B - Dividend Option	Entire distributable surplus available in the scheme as on the Record date	11.8046
Reliance Dual Advantage Fixed Tenure Fund VII - Plan B - Direct Plan - Dividend Option		12.2113

*As reduced by the amount of applicable statutory levy.

Pursuant to payment of dividend, the NAV of the Schemes will fall to the extent of payout, and statutory levy, if any.

For units in demat form: Dividend will be paid to those Unitholders/Beneficial Owners whose names appear in the statement of beneficial owners maintained by the Depositories under dividend option of the Scheme as on record date.

डा

को सिन्हा के आवास
1 कई शिकायतें मिली
ध में नोटिस भी भेजा
'सिन्हा ने हालांकि,
केन हमने निर्माण के
त्रुटि पाई।

तिथि: 02.01.2018

नई दिल्ली (प्राप्राईटर का

002 की धारा

शेष बकाया

रु. 1,32,75,335.51

आप की पहचान औचित्यपूर्ण
चालन परिसम्पत्ति के रूप में
ते दस्तावेजों के अनुसार बैंक
श राशि एवं अथवा खाता के
अधिकृत है।

1,29,35,243.51

3,40,092.00

म सं. 4 ख में शामिल)

1,32,75,335.51

24.5.2012 को दस्तावेजों को
शकरपुर खास, विजय चौक
माप 110 वर्ग यार्ड, खसरा
शेष भाग।

सहमति के बिना आप बिब्री,

6 प्रति देनदार हैं। आप सं. 1,
गौतम मासिक रेस्टर्स से मिश्रित
भा भुगतान करें जिसमें विफल
अधिनियम, 2002 की धारा
उपरोक्त अधिनियम की धारा
हो रही है।

जैज तथा बैंक द्वारा वहन की
तुल परिसम्पत्तियों को विमोचित
मंत्रण अथवा जनता से निविदा
न की तिथि तक आपके लिये

प्राधिकृत अधिकारी
कॉर्पोरेशन बैंक

नई दिल्ली-110001

1-1, ग्राउण्ड फ्लोर, विजया
उ. 2002 के तहत कब्जा प्राप्त
है तथा जो है जैसा है आधार
वक्त तिथि को ई-नीलामी के
है।

र सिंह भड़ाना (गारंटर)

Bank of India Relationship beyond banking

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, (द्वितीय), 2002 (2002 के आई. 3) के अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया, इण्डियन बैंक एंक्टिंग शाखा 3ई/4, इण्डियन बैंक एंक्टिंग शाखा नई दिल्ली-110055 के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 22.9.2017 जारी कर मे. गौतम सिंह एंक्टिंग शाखा 3ई/4, इण्डियन बैंक एंक्टिंग शाखा नई दिल्ली-110055 को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 1,83,05,380.41 + 30.4.2016 से व्याज (रु. एक करोड़ तिरासी लाख पांच हजार तीन सौ अस्सी तथा दसै इकताईस मात्र) एवं 30.4.2016 से व्याज, आगे के व्याज, खर्च तथा अन्य चार्जेज आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

अंशधारक/गारंटर इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्वारा अंशधारक/गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज 5 जनवरी, 2018 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उक्त प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहाँ नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से अंशधारकों तथा आम जनता को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहाँ नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 1,83,05,380.41 + 30.4.2016 से व्याज (रु. एक करोड़ तिरासी लाख पांच हजार तीन सौ अस्सी तथा दसै इकताईस मात्र) तथा 30.4.2016 से आगे के व्याज, 22.9.2017 को एवं उक्त पर आगे के व्याज, खर्च तथा अन्य चार्जेज के लिए बैंक ऑफ इंडिया, इण्डियन बैंक एंक्टिंग शाखा 3ई/4, इण्डियन बैंक एंक्टिंग शाखा नई दिल्ली-110055 के चार्ज के अधीन होगा।

अंशधारक का ध्यान प्रतिभूति परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अंशधारक संपत्ति का विवरण

श्री स्वर्णजीत सिंह पुत्र श्री खल्लल सिंह के नाम में सरकारी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत 7/193, रमेश नगर, नई दिल्ली-110015 में बिना छत के अधिकार के समूह भू तल पर स्थित संपत्ति का इक्विटिबल भागीदार।

तिथि: 5.1.2018

स्थान: नई दिल्ली

हस्ता/ (आर.के. शर्मा)

प्राधिकृत अधिकारी

बैंक ऑफ इंडिया

त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

कार्पोरेट कार्यालय: 8वीं मंजिल, एक्सप्रेस ट्रेड टावर 15-16, सेक्टर-16ए, मोडोडा, उत्तर प्रदेश-201301

दूरभाष: 91 120 4308000/फैक्स: 91 120 4311010-11

ई-मेल: shares@trivenigroup.com, वेबसाइट: www.trivenigroup.com,

CIN: L15421UP1932PLC022174

अंशधारकों हेतु सूचना

समता अंशों का विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरण

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 (6) के प्रावधानों के साथ पठित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदेय) नियम, 2016, यथा संशोधित, (आईडीपीएफ नियम), के अनुपालन में ऐसे सभी अंश जिनके सम्बन्ध में सात या उससे अधिक वर्षों से लाभांश का दावा अथवा भुगतान नहीं किया गया है, कंपनी द्वारा विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईडीपीएफ) के पक्ष में हस्तांतरण हेतु वांछित हैं।

आईडीपीएफ नियमों के अनुपालन में, कंपनी ने सम्बन्धित अंशधारकों को, जिनके वित्तीय वर्ष 2009-10 के अन्तिम एवं विशेष लाभांश का दावा नहीं किया/अदत्त हैं तथा जिनके अंश आईडीपीएफ को हस्तांतरित किये जाने हैं, आवश्यक सूचना प्रेषित की है। कथित अंशधारकों का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.trivenigroup.com पर 'Investors' अनुभाग के अंतर्गत अपलोड किया गया है। अंशधारक आईडीपीएफ को हस्तांतरित होने हेतु संभाव्य अंशों का विवरण कंपनी की वेबसाइट पर देख सकते हैं।

सम्बन्धित अंशधारकों से अनुरोध है कि वर्ष 2009-10 के अन्तिम एवं विशेष लाभांश एवं उसके उपरान्त के अपने अदत्त लाभांश का दावा करने हेतु अपना आवेदन कंपनी के शेयर ट्रांसफर एजेंट अर्थात् कार्बी कम्प्यूटरशेयर प्रा.लि. (यूनिट त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड) को कार्बी सेलेनियम बी., प्लॉट नं. 31-32, गवीबोउली फाइनरियल डिस्ट्रीक, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500032 अथवा ईमेल द्वारा einward.ris@karvy.com पर कर सकते हैं। यदि अदत्त लाभांश का वैध दावा कार्बी कम्प्यूटरशेयर प्रा.लि. को 17 फरवरी, 2018 को या उससे पूर्व प्राप्त नहीं होता है तो कंपनी आईडीपीएफ नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कथित अंशों को आईडीपीएफ में हस्तांतरित कर देगी। अंशधारक कृपया ध्यान दें कि आईडीपीएफ को हस्तांतरित अंशों को उपार्जित लाभों सहित, यदि कोई हो, आईडीपीएफ प्राधिकरण से आईडीपीएफ नियम के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अंशधारकों द्वारा वापस प्राप्त किया जा सकता है।

इस संदर्भ में यदि अंशधारकों का कोई प्रश्न हो तो वे कार्बी कम्प्यूटरशेयर प्रा.लि. (यूनिट त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड) सेलेनियम बी., प्लॉट नं. 31-32, गवीबोउली फाइनरियल डिस्ट्रीक, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500032 अथवा टेलीफोन नं. 040 67162222 अथवा टोल फ्री नं. 1800 3454001, फैक्स नं. 040 23001153, ईमेल द्वारा einward.ris@karvy.com पर संपर्क कर सकते हैं।

कृते त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

गीता मल्ला

समूह उपाध्यक्ष

एवं कंपनी सचिव



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

1911 से आपके लिए "सेन्ट्रल" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालय: करोल बाग, नई दिल्ली

कब्जा सूचना (अंशधारकों के लिए)

[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, करोल बाग, नई दिल्ली शाखा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 5.9.2017 जारी कर ऋणधारकों: 1) मै. प्राइम फोम प्रा.लि., 271-272, इंडस्ट्रियल एरिया भिवाडी, फाइनरियल डिस्ट्रीक, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500032 अथवा टेलीफोन नं. 040 67162222 अथवा टोल फ्री नं. 1800 3454001, फैक्स नं. 040 23001153, ईमेल द्वारा einward.ris@karvy.com पर संपर्क कर सकते हैं।

कॉर्पोरेशन

(सार्वजनिक)

शाखा: रामप्रस्थ, गाजियाबाद शाखा:

संदर्भ सं.: CSLPS/01/15001

सेवा में, 1. ऋणधारक- मै. ब्राइट इन्टरनेशनल, प्रतिनिधित्व द्वारा उ
आर्केड टावर, सेक्टर 4, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
2. गारंटर- श्री आनंद सिंह, पुत्र ओम प्रकाश सिंह, 340, राहुल विहार
3. गारंटर- श्रीमती एहसाना, पत्नी श्री अफसर अली, प्लेट नं. 707,
पिय महोदय/ महोदय।

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा
साथ पठित धारा

1. आप सं. 1 हमारे बैंक की अधोलिखित साख सीमा व

क्रम सं. सुविधा की सीमा
1. CSLPS 15001 (कॉर्पोरेशन- लिक्विड प्लस)

2. वांछित रूप में बकाये का भुगतान करने तथा संतोषजनक रूप से ले
लेखा मानकों से संबंधित भा.रि.वै. के दिशानिर्देशों के अनुसार हमें
वर्गीकृत कर दिया है।

3. भा.रि.वै. के दिशानिर्देशों के अनुसार एवं/ अथवा उक्त सुविधाओं के
द्वारा निर्धारित लेण्डिंग रेट के अनुसार बैंक निर्दिष्ट दर पर व्याज च
संदर्भ में सामान्य व्याज दर पर या उससे ऊपर 2% को दर से अधि
लेखाओं की पुस्तकों के अनुसार लेखा पर आरोपित व्याज के विधि
CSLPS 15001 10.90% प्रति वर्ष

4. उपरोक्त खाता के संदर्भ में आप पर बैंक की बकाया राशि का वि
(क) 30.9.2017 तक डेबिट की गई व्याज सहित लेखा पुस्तकों के उ
(ख) व्याज उपचयित, लेकिन डेबिट नहीं की गई, 01.10.2017 से उ
का भाग है तथा जिसका जब वह देय हो, भुगतान नहीं किया गया है।

ग) अधिशेष व्याज

घ) इस सूचना की तिथि को बैंक को देय कुल राशि (क) + (ख) +

5. बैंक के बकाया धनो तथा बकाया होने वाले धनो के पुनर्भुगतान

किया है तथा यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति की इक्विटिबल गिरवी द्वारा

* ग्राम अकबरपुर, बहरामपुर, परगणा लोनी, तहसील एवं जिला म
भूमि माप 232 वर्ग मी.

* ग्राम अकबरपुर, बहरामपुर, परगणा लोनी, तहसील एवं जिला म
भूमि माप 234.10 वर्ग मी.

* ग्राम अकबरपुर, बहरामपुर, परगणा लोनी, तहसील एवं जिला म
भूमि माप 234.10 वर्ग मी.

6. कृपया ध्यान रहे कि इस सूचना की प्राप्ति के बाद अधिनियम की

अथवा अन्य रूप में उपरोक्त प्रतिभूति परिसम्पत्तियों का अंतरण न

7. कृपया ध्यान रहे, आप सं. 1, ऋणधारक, उपरोक्त के अतिरिक्त
ऋणधारक तथा आप सं. 2 एवं 3 को गारंटर के रूप में एतद्वारा
से मिश्रित 10.90% प्रति वर्ष की दर से कुल मूलधन राशि पर अ
जिसमें विफल होने पर प्रतिभूत क्रेडिटोर के रूप में हम वित्तीय
2002 की धारा 13 (4) के अंतर्गत किसी या सभी अधिकारों व

अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत हमारे अधिकार का प्रयो

8. जबकि, हम आपको निर्देश देते हैं कि उपरोक्त अवधि के भीतर
गयी खर्च के साथ बैंक की उपरोक्त सभी बकाया राशि का भुग
करें, कृपया ध्यान रहे कि सरकारी अधिनियम की धारा 13 (8)
अथवा पट्टा एसाइनमेंट अध्याय प्रतिभूति परिसम्पत्तियों की विधि द
परिसम्पत्तियों के विमोचन का अधिकार उपलब्ध होगा।



विक्रय

कार्यालय

ऋण वसूली उ

चौथी मंजिल, जीवन तारा वि

आर.सी. नं 359/2016

ऋणों की वसूली हेतु बैंक एवं वित्तीय
अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के
एडलवर्ड्स असेट रि
मैसर्स टॉरस अजाईल टेव

1. मैसर्स टॉरस अजाईल टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय भू-तल, 12/17 शक्ति नगर, दिल्ली-1100
यहाँ भी: एन-5, एलएससी, डीडीए कॉम्प्लेक्स, डेवागली नगर,
यहाँ भी: बी-14, जी.टी. कनलान रोड, इण्डस्ट्रियल एरिया, नई
यहाँ भी: हाण्डेसरा रोड, गांव लालक, तहसील डेवागली, जिला-
2. श्री एस. के. भारद्वाज पुत्र श्री रामानन्द भारद्वाज निवासी 142
400005

यहाँ भी: टाईट्स, अठारहवां तल, नेपियन रोड, मुंबई-400

3. श्री रमनजीत सिंह पुत्र श्री कंबल जीत सिंह निवासी मकान नं.

4. स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (प्रफोर्मा पार्टी) जिसका पंजीकृत